

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1981/चैत्र 18, 1903
No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 1981/CHAITRA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1981

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. क्र. नि. 281 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम,
1944 के नियम 98 अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार

के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 233/77- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 (यथा तत्पश्चात् संशोधन) का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के दूसरे परन्तुक में, “31 दिसम्बर, 1980” अंकों और शब्द के स्थान पर, “30 जून, 1981” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 104/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, फा. सं. 55/2/81-सी एक्स-2]

डी. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 233/77-CE, dated the 15th July, 1977 (as subsequently amended), namely :—

In the said notification, in the second proviso, for the figures, letters and words “31st day of December, 1980”, the figures, letters and words “30th day of June, 1981” shall be substituted.

[Notification No. 104/81-CE., F. No. 55/2/81-CX. 2]

D. MEHTA, Under Secy.